संख्या–वे0आ0–2–1946 /दस–62(एम)/2009 टी0सी0

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2)समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 12 जनवरी, 2010

विषयः– पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वेतन समिति–2008 की संस्तुतियों पर राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान की पूर्व से लागू व्यवस्था को दिनांक 30 नवम्बर 2008 तक बनाये रखने तथा दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से नई समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1632/दस–62 (एम)/2008 दिनांक 05 नवम्बर 2009 द्वारा लिया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 में नई समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने पर सम्बन्धित पदधारक के वेतन निर्धारण एवं वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन के पद पर वास्तविक पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण न किये जाने की व्यवस्था वर्णित है, परन्तु ऐसे कार्मिक जिन्हें पूर्व से लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान अनुमन्य हुआ है और पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनकी वास्तविक पदोन्नति अनुमन्य वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन के पद पर होती है तो उसका वेतन किस प्रकार निर्धारित होगा, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं है।ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण की व्यवस्था को स्पष्ट किये जाने हेतु प्रकरण संदर्भित किये गये हैं।

2– उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"ऐसे पदधारक जो समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय पदोन्नतीय वेतनमान के रूप में वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहे थे और उनकी वास्तविक पदोन्नति पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसी वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन के पद पर होती है तो सम्बन्धित पदधारक की पदोन्नति की तिथि को एक वेतनवृद्धि का लाभ देते हुए उसका वेतन पुनर्निधारित किया जायेगा तथा आगामी वेतनवृद्धि उसे पूर्व की भाँति देय रहेगी।"**

भवदीय,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–1946 (1)/दस–62(एम)/2009, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी–I एवं II तथा आडिट– I एवं II, उ0 प्र0 इलाहाबाद।